Under CSR Support by Ipca | Foundation missiongyan

अध्याय - 7 | कंपनी निर्माण

QUIZ PART-07

1. **एक व्यक्ति कंपनी (OPC) की अवधारणा किस अधिनियम के तहत लागू हुई?**
   A. कंपनी अधिनियम 1956
   B. कंपनी अधिनियम 2013
   C. कंपनी अधिनियम 2000
   D. कंपनी अधिनियम 1991 (B)

व्याख्या: OPC की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल की गई है।

2. **OPC का सुझाव किस समिति ने दिया था?**
   A. एस. डी. फड़णवीस समिति
   B. जे. जे. ईरानी समिति
   C. चंद्रशेखर समिति
   D. बोस समिति (B)

व्याख्या: OPC का प्रस्ताव जे. जे. ईरानी समिति ने रखा था।

3. **OPC का सदस्य कौन हो सकता है?**
   A. कोई भी संस्था
   B. अवयस्क
   C. एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक
   D. विदेशी नागरिक (C)

व्याख्या: सदस्यता केवल एक प्राकृतिक भारतीय नागरिक को दी जा सकती है जिसने पिछले वर्ष 182 दिन भारत में बिताए हों।

4. **OPC का सदस्य या नामांकित कौन नहीं बन सकता?**
   A. व्यापारी
   B. अवयस्क
   C. सरकारी कर्मचारी
   D. शिक्षक (B)

व्याख्या: अवयस्क व्यक्ति को सदस्य या नामांकित बनने की अनुमति नहीं होती।

5. **कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी OPC में सदस्य/नामांकित हो सकता है?**
   A. दो
   B. पाँच
   C. केवल एक
   D. कोई सीमा नहीं (C)

व्याख्या: एक व्यक्ति एक ही OPC में सदस्य या नामांकित के रूप में जुड़ सकता है।

6. **यदि कोई व्यक्ति गलती से दो OPC में शामिल हो जाए तो उसे कितने दिनों के भीतर स्थिति सुधारनी होती है?**
   A. 90 दिन B. 120 दिन
   C. 180 दिन D. 365 दिन (C)

व्याख्या: नियमों के अनुसार स्थिति सुधारने के लिए 180 दिनों का समय निर्धारित है।

7. **OPC किन गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकती?**
   A. व्यापार
   B. उत्पादन
   C. गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियाँ जैसे निवेश
   D. सेवाएँ प्रदान करना (C)

व्याख्या: OPC को ऐसी वित्तीय गतिविधियाँ करने की अनुमति नहीं होती जो गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से संबंधित हों।

8. **OPC दो वर्ष पूरे होने से पहले स्वैच्छिक परिवर्तन कब कर सकती है?**
   A. जब टर्नओवर ₹1 करोड़ से अधिक हो
   B. जब पूँजी ₹20 लाख से अधिक हो
   C. जब पूँजी ₹50 लाख से अधिक या टर्नओवर ₹2 करोड़ से अधिक हो
   D. किसी भी समय (C)

व्याख्या: पूँजी या टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक होने पर परिवर्तन दो वर्ष से पहले भी संभव है।

9. **निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए कौन-सी संख्या आवश्यक है?**
   A. PAN B. TIN
   C. DIN D. CIN (C)

व्याख्या: निदेशक बनने के लिए DIN (Director Identification Number) आवश्यक है।

10. **DIN प्राप्त होने के बाद आवेदक को पुनः आवेदन कब करना होता है?**
    A. प्रत्येक वर्ष
    B. पाँच वर्ष बाद
    C. दस वर्ष बाद
    D. दोबारा आवेदन नहीं करना होता (D)

व्याख्या: DIN एक बार जारी होने पर दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती।

मिशन ज्ञान जब चाहें, जहाँ चाहें, जो चाहें!
100% FREE! Video COURSES | QUIZ | PDF | TEST SERIES Download Mission Gyan App